UPSB050001992026

Presented on : 29-04-2026
Registered on : 29-04-2026
Decided on : 20-05-2026
Duration : 0 years, 0 months, 22 days

IN THE COURT OF
Civil Judge Senior Division, Fast Track Court AT Robertsganj,Sonbhadra
Presided Over by SRI RAJEEV RANJAN MISHRA JO Code UP 3258
Misc. Civil Cases/46/2026

प्रोतिवा बरूअह मन्ना बनाम आम जनता व अन्य,

—निस्तारण प्रार्थना पत्र 3क—

20.05.2026 :—

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थिनी के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 3क पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रोतिवा बरूअह मन्ना की ओर से प्रार्थना पत्र 3क अन्तर्गत धारा 152 CPC प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद 38/2023 प्रोतिवा बरूअह मन्ना बनाम आम जनता आदि (सम्बन्धित उत्तराधिकार अधिनियम 372) में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.03.2026 में लिपिकीय/अंकगणितीय त्रुटि को दूर करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। मूल पत्रावली तलब की गयी। मूल पत्रावली में प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17.03.2026 का अवलोकन किया। उक्त आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लिपिकीय त्रुटिवश उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में सम्पूर्ण धनराशि का विवरण अंकित नहीं हुआ है। उक्त लिपिकीय त्रुटि को दूर करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः ऐसी परिस्थिति में आदेश दिनांकित 17.03.2026 संशोधित किये जाने योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थिनी प्रोतिवा बरूअह मन्ना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3क स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांकित 17.03.2026 संशोधित किया जाये। तदनुसार प्रस्तुत विविध वाद की पत्रावली निस्तारित की जाती है। विविध वाद तथा मूल वाद की पत्रावली नियम अनुसार दाखिल दफ्तर हो। मूल वाद में संलग्न मूल दस्तावेज की एक प्रति सुरक्षित रखकर मूल दस्तावेज प्रार्थिनी को वापस किया जाये।

(राजीव रंजन मिश्रा)
सिविल जज सीनियर डिवीजन,(एफ.टी.सी.),सोनभद्र।
जे0ओ0 कोड यू0पी03258